केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/295 दिनांक: 24.08.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00292
CICOM/R/2016/00880

अपीलकर्ता : मोहम्मद आमिल,
पुत्र – स्व0 मोहम्मद इकवाल पहलवान,
थाना – नागफनी के सामने,
इकबाल पहलवान बिल्डिंग,
मुरादाबाद – 244001.

निर्णय की तारीख : 24.08.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	23.06.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	27.07.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री के.एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.07.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	155546/15.07.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	417/18.07.2016

1. प्रस्तुत अपील की सुनवाई दिनांक 24.08.2016 को अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में आयोजित की गई जिसमें अपीलकर्ता तथा जन सूचना अधिकारी श्री के.एल. दास, उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय एवं श्री ए.के. शर्मा, जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ उपस्थित थे ।

2. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से दिनांक 21.04.2016 को आयोग को प्रेषित पत्र के प्रतिउत्तर नहीं मिलने के संबंध में सूचना मांगी थी, प्रस्तुत प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि उक्त पत्र का प्रतिउत्तर अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री के.एल. दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय द्वारा दिनांक 27.07.2016 को वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है । अपीलकर्ता ने भी सहमति जताई कि श्री के.एल.दास द्वारा प्रदान की गई सूचना उन्हें प्राप्त हो चुकी है । श्री के.एल.दास ने सुनवाई के दौरान बताया कि अपीलकर्ता का उक्त पत्र अपीलकर्ता के द्वितीय अपील पर आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुपालन से संबंधित है तथा इस संबंध में जन सूचना अधिकारी, डी.आर.एम., उत्तरी रेलवे, मुरादाबाद को आयोग के आदेश का अनुपालन करने के लिए पत्र लिखा जा चुका

है । इस संदर्भ में श्री के.एल. दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर आयोग द्वारा अपीलकर्ता के द्वितीय अपील पर दिए गए आदेश का अनुपालन करने के लिए जन सूचना अधिकारी, डी.आर.एम., उत्तरी रेलवे, मुरादाबाद को पुन: एक अनुस्मारक (रिमाइंडर) भेजा जाए ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री के.एल. दास, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-बी.जे. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।